(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम, पीपलू

झीता बनाम कैलाश

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र धारा 144 सी.पी.सी. न0....25.... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.10.19	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण संख्या 194/2016 में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.02.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 25.05.2017 को अन्तिम निर्णय व अन्तिम डिक्री किया गया था। जिसका अमल तत्समय ही राजस्व रिकॉर्ड मे कर दिया गया था। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्राथी ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष अपील संख्या 72/2017 प्रस्तुत की थी। जिसका निर्णय दिनांक 08.08.2018 को किया जाकर पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया गया है। अतः पारित निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी पीपलू प्रभावहीन हो चुकी हैं और रिकॉर्ड की पूर्व स्थिती को कायम किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों व संलग्न निर्णय की प्रतियों व धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रा0 पत्र न्यायहित में विधिसंगत होने से स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया जाता हैं कि वे राजस्व रिकॉर्ड में निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिती अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को कायम करें। तहसीलदार पीपलू को तहरीर जारी हो। प्रा0पत्र निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	